[2022] 1 एस. सी. आर 1

यूएचएल पावर कंपनी लिमिटेड।

वी.

हिमाचल प्रदेश का राज्य

(2011 की सिविल अपील सं. 10341)

07 जनवरी, 2022

[एन. वी. रमना, सीजेआई, ए. एस. बोपन्ना और हिमा कोहली, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: प्रदत्त ब्याज राशि पर पुरस्कार के बाद ब्याजः द्वारा दिया जा सकता है

मध्यस्थ।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एस. 34 के तहत अधिकारिता, दायरा-आयोजितः न्यायालय मध्यस्थता पुरस्कार पर अपील में नहीं बैठता है और एस के तहत प्रदान किए गए सीमित आधार पर गुण-दोष पर हस्तक्षेप कर सकता है। 34 (2) (ख) (ii)। मध्यस्थताः यदि अनुबंध के नियमों और शर्तों की दो प्रशंसनीय व्याख्याएँ हैं तो कोई दोष नहीं पाया जा सकता है यदि

मध्यस्थ एक व्याख्या को दूसरे के विपरीत स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ता है।

मध्यस्थताः मध्यस्थता पुरस्कार-अदालतों द्वारा हस्तक्षेप का दायरा

आयोजित किया गयाः न्यायालयों को किसी निर्णय में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि अनुबंध के तथ्यों और व्याख्या पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण मौजूद है।

कार्य और दस्तावेज़ः क्या तत्काल मामले में, 10 फरवरी, 1992 का समझौता ज्ञापन (एमओयू) 22 अगस्त, 1997 के कार्यान्वयन समझौते में विलय-आयोजितः जैसा कि राज्य द्वारा स्वीकार किया गया है, समझौता ज्ञापन का उल्लेख "परिशिष्ट" के रूप में किया गया था

ए "कार्यान्वयन समझौते के दूसरे पाठ में, जिसने स्वयं राज्य द्वारा की गई याचिका को ध्वस्त कर दिया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायालय ने इस निष्कर्ष को वापस करने में गलती की है कि 10 फरवरी, 1992 का समझौता ज्ञापन में विलय नहीं हुआ था।

22 अगस्त, 1997 का कार्यान्वयन समझौता-"समझौता" शब्द की परिभाषा को पढ़ने पर विचार को मजबूत किया जाता है। जैसा कि कार्यान्वयन समझौते के खंड 2.2 में उपयोग किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "समझौता" शब्द का उपयोग जहां भी किया जाता है

कार्यान्वयन समझौते में इसके सभी परिशिष्ट और अनुलग्नक शामिल होंगे-समझौता ज्ञापन को पक्षों द्वारा इस प्रकार वर्णित किया गया है -

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्यान्वयन समझौते के परिशिष्ट ए को सभी प्रभावों और उद्देश्यों के लिए कार्यान्वयन समझौते के साथ विलय के रूप में माना जाएगा।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. चूंकि एस. एल. अरोड़ा के मामले में निर्णय, जिस पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निर्भरता रखी गई है, तब से हैदर कंसल्टिंग (यू. के.) लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है, इसलिए अपीलीय न्यायालय द्वारा इस आशय के विवादित फैसले में दिए गए निष्कर्ष कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को चक्रवृद्धि ब्याज या ब्याज देने का अधिकार नहीं है और दावा की गई मूल राशि पर यू. एच. एल. के पक्ष में केवल साधारण ब्याज दिया जा सकता है, को रद्द कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप, आक्षेपित निर्णय के पैरा 54 (ए) में दिए गए निष्कर्ष, जहां तक वे ब्याज घटक के अनुदान से संबंधित हैं, उलट दिए जाते हैं।

यू. एच. एल. के पक्ष में उपरोक्त पहलू पर मध्यस्थता निर्णय को बहाल करना। [पैरा 6] [8-ई-जी]

2. यह तथ्य कि राज्य ने 10 फरवरी, 1992 को यू. एच. एल. के साथ समझौता ज्ञापन को लागू करने की बात स्वीकार की है और उक्त समझौता ज्ञापन

कार्यान्वयन समझौते को सभी प्रभावों और उद्देश्यों के लिए कार्यान्वयन समझौते के साथ विलय के रूप में माना जाएगा। उक्त पाठों और खंडों के आलोक में कार्यान्वयन समझौता, यह न्यायालय विवादित निर्णय के पैरा 47 में वापस किए गए निष्कर्षों का समर्थन करता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कार्यान्वयन समझौते के खंड 2.2 के साथ पढ़े गए दूसरे पाठ के एक सादे पठन से पता चलता है कि यूएचएल पावर कंपनी लिमिटेड।

वी. हिमाचल प्रदेश का राज्य

समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन समझौते के साथ विलय हो गया है और इसलिए, खंड 20 के संदर्भ में कार्यान्वयन समझौते के तहत मध्यस्थता के लिए संदर्भित विवादों को समझौता ज्ञापन के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों को शामिल करना था, भले ही बाद के दस्तावेज में एक अलग मध्यस्थता खंड शामिल था। [पैरा 10] [10-बी-एफ]

3. के लिए दावों सहित संविदात्मक दायित्वों के प्रदर्शन के संबंध में पक्षों के बीच विवाद के सभी बिंदु

यू. एच. एल. द्वारा किए गए नुकसान और खर्च या तो

10 फरवरी, 1992 का समझौता ज्ञापन या 22 अगस्त, 1997 के कार्यान्वयन समझौते के तहत, कार्यान्वयन के एक हिस्से के रूप में खंड 20 के अनुसार मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया था।

समझौता। [पैरा 11] [11-बी-सी]

4. राज्य द्वारा की गई दूसरी याचिका यह है कि अपीलीय न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने में गलती की है

और राज्य की ओर से कार्यान्वयन समझौते की पूर्व-परिपक्व समाप्ति के पहलू पर एकल मध्यस्थ के निष्कर्षों को निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले बहाल करना। [पैरा 12] [11-डी]

5. खंड 4.1 (ए) और (बी) का एक सादा अध्ययन इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि निर्माण शुरू करने के लिए यूएचएल की आवश्यकता थी

सी. ई. ए. से तकनीकी-आर्थिक मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही प्रभावी तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना और

भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी। तथापि, पक्षकारों द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि उपरोक्त और समझौते के खंड 16.8 के तहत संदर्भित प्रासंगिक मंजूरी प्राप्त करने के बाद से राज्य को कुछ शर्तों का निर्वहन करना आवश्यक थाः दायित्व, पूरी तरह से यू. एच. एल. के हाथों में नहीं थे, प्रभावी तिथि से तीन महीने की अवधि से अधिक किसी भी देरी की स्थिति में, एक वर्ष की निर्धारित अवधि में विचार किया गया था

बारह महीने की अतिरिक्त अवधि से परे। कार्यान्वयन समझौते के उपरोक्त खंडों के आलोक में, राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया कि, सभी परिस्थितियों में, कार्यान्वयन समझौते को एक वर्ष की अवधि के भीतर और एक [2022] 1 एस. सी. आर. से आगे विस्तार के प्रावधान के बाद से निष्पादित किया जाना था।

वर्ष केवल खंड में अनुध्यात शर्तों पर लागू था

4.1 (ए) और (बी) और खंड 4.1 (सी) से (जी) में निर्धारित लोगों के लिए नहीं, अपरिवर्तित पाया जाता है और अस्वीकार कर दिया जाता है। जब दलों को कार्यान्वयन समझौते में कहा गया था कि निर्माण गतिविधि शुरू करने के लिए यू. एच. एल. के लिए उपलब्ध एक वर्ष की अवधि की गणना खंड 4.1 में निर्धारित प्रमुख आवश्यकताओं को प्राप्त करने के बाद की जानी थी, तो कोई भी तर्क दिया जाना चाहिएः

खंड 4 के विभिन्न उप-शीर्षों के तहत दायित्वों को अलग करने के लिए केवल यू. एच. एल. के दरवाजे पर दोष लगाने के लिए आगे बढ़ाया गया, जब राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार और केंद्रीकृत प्राधिकरणों से आवश्यक मंजूरी प्राप्त की जानी थी, तो यह पूरी तरह से अनुचित और अतार्किक होने के अलावा गुणों से रहित है। [पैरा 13] [12-डी-एच; 13-ए]

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निष्कर्षों की पुनः सराहना करने और कार्यान्वयन के प्रासंगिक खंडों की व्याख्या के संबंध में पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण रखने में त्रुटि पक्षकारों को शासित करने वाला समझौता क्योंकि यह उक्त न्यायालय के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही में ऐसा करने के लिए खुला नहीं था, वस्तुतः एक अपील न्यायालय के रूप में कार्य करके। [पैरा 14] [13-बी-सी]

7. जब मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील के दायरे की बात आती है, तो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत न्यायालयों को दिया गया अधिकार क्षेत्र काफी संकीर्ण है। किसी आदेश की जांच करने, किसी अधिनिर्णय को दरकिनार करने या उसे दरकिनार करने से इनकार करने में अपीलीय न्यायालय की अधिकारिता उतनी ही अधिक सीमित होती है। [पैरा 15] [13-सी-डी]

एमएमटीसी लिमिटेड बनाम। वेदांत लिमिटेड (2019) 4 एस. सी. सी. 163: [2019] 3 एससीआर 1023; K.Sugumar वी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम

निगम लिमिटेड (2020) 12 एस. सी. सी. 539; डायना

टेक्नोलॉजीज (पी) लिमिटेड बनाम क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड (2019) 20 एस. सी. सी. 1; पारसा केंटे कोलियरीज लिमिटेड बनाम। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2019) 7 एससीसी 236: [2019] 8 एससीआर 728; मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक. बनाम। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड और अन्य (2019) 20 एस. सी. सी. 1; यू. एच. एल. पावर कंपनी लिमिटेड।

वी. हिमाचल प्रदेश का राज्य

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड वी. दीवान चंद राम सरन

(2006) 11 एससीसी 181: [2012] 4 एस. सी. आर. 1; दक्षिण पूर्व एशिया

मरीन इंग। & कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड [एस. ई. ए. एम. ए. सी लिमिटेड]

एस. सी. सी. 164 पर भरोसा किया।

8. तत्काल मामले में, प्रासंगिक की व्याख्या

एकमात्र मध्यस्थ द्वारा किए गए कार्यान्वयन समझौते के खंड, संभव और प्रशंसनीय दोनों हैं। केवल इसलिए कि एक अन्य दृष्टिकोण लिया जा सकता था, एकल न्यायाधीश के लिए मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप करने का शायद ही कोई आधार हो सकता है। में। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अपीलीय न्यायालय ने उचित रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि एकल न्यायाधीश ने कार्यान्वयन समझौते के प्रासंगिक खंडों को दी गई व्याख्या पर सवाल उठाकर पुरस्कार में हस्तक्षेप करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।

क्योंकि दिए गए कारण तर्क द्वारा समर्थित हैं। [पैरा 21] [17-सी-डी]

9. अपीलीय न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा गया है कि

05 जून, 2005 के माध्यस्थम निर्णय में वापस किए गए निष्कर्षों को इस प्रभाव से बहाल किया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य ने निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले कार्यान्वयन समझौते को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ा था, जिसे "प्रभावी तिथि" से 24 महीने तक बढ़ाया जा सकता था। तत्काल मामले में, एच. पी. राज्य ने कार्यान्वयन समझौते के खंड 4 की विकृत व्याख्या को अपनाकर निर्धारित अवधि से पांच महीने पहले कार्यान्वयन समझौते को समाप्त कर दिया था, जो अस्वीकार्य था। [पैरा 22] [17-ई-एफ]

हरियाणा राज्य बनाम। एस. एल. अरोड़ा एंड कंपनी (2010) 3 एस. सी. सी.

690 [2010] 2 एस. सी. आर. 297-खारिज।

हैदर कंसल्टिंग (यू. के.) लिमिटेड बनाम गवर्नर, उड़ीसा राज्य मुख्य अभियंता (2015) 2 एस. सी. सी. 189: [2014]

14 एस. सी. आर. 1029-अनुसरण किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2010] 2 एससीआर 297

निरस्त किया गया

पै

रा 3

[2014] 14 एससीआर 1029

पीछा किया।

पै

रा 4

[2019] 3 एससीआर 1023

उस पर भरोसा करें

पैरा

15 [2022] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2020) 12 एस. सी. सी. 539

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

(2019) 20 एससीसी 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

[2019] 8 एससीआर 728

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18

(2019) 20 एससीसी 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18

[2012] 4 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18

[2020] 5 एससीसी 164

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हिमा कोहली, जे.

1. दोनों वर्तमान अपीलें दिनांकित एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न होती हैं

24 मई, 2011 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत यू. एच. एल. पावर कंपनी लिमिटेड 1 द्वारा दायर 2009 की मध्यस्थता अपील संख्या 2 को आंशिक रूप से अनुमति दी। यू. एच. एल. ने 2011 की सिविल अपील सं. 10342 दायर की है और हिमाचल प्रदेश राज्य 3 ने 2011 की सिविल अपील सं. 10342 दायर की है, क्योंकि दोनों पक्ष विवादित फैसले से व्यथित हैं।

2. हालाँकि यू. एच. एल. ने अपनी अपील में कई आधार लिए हैं।

विवादित फैसले पर हमला करने के लिए, यू. एच. एल. के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता ने अपनी शिकायत को दावा करने से पहले के ब्याज यानी यू. एच. एल. द्वारा खर्च किए जाने की तारीख से लेकर दावा दर्ज करने की तारीख तक के ब्याज को अस्वीकार करने तक सीमित कर दिया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 05 जून, 2005 के पुरस्कार के संदर्भ में, विद्वान एकल मध्यस्थ ने 1 26,08,89,107.35p की राशि प्रदान की थी। (इस प्रकार किए गए खर्चों पर वार्षिक रूप से दावा किए गए पूर्व-दावा ब्याज के साथ दावा किए गए खर्चों के लिए यू. एच. एल. के पक्ष में 26 करोड़ आठ लाख 89 हजार एक सौ सात पैंतालीस पैसे)। इसके अलावा, दावे की तारीख तक यू. एच. एल. के पक्ष में प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था और यदि पुरस्कार की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर प्रदान की गई राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ब्याज के साथ मूल दावे पर भविष्य का ब्याज प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की दर से दिया गया था।

3. पुरस्कार से असंतुष्ट, जब एच. पी. राज्य ने एक दायर किया

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका, दिनांक 16 दिसंबर, 2008 के फैसले के माध्यम से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने मध्यस्थता अधिनियम के पूरे दावे को अस्वीकार कर दिया।

1 संक्षेप में 'यूएचएल' के लिए

2 संक्षेप में 'मध्यस्थता अधिनियम'

3 संक्षेप में 'द स्टेट' यूएचएल पावर कंपनी लिमिटेड।

वी. हिमाचल प्रदेश राज्य [हिमा कोहली, जे.]

यूएचएल। उक्त निर्णय को यू. एच. एल. द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर एक याचिका में चुनौती दी गई थी, जिसे विवादित निर्णय द्वारा तय किया गया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यू. एच. एल. के पक्ष में 1 9,10,26,558.74 (नौ करोड़ दस लाख छत्तीस हजार पांच सौ अड़तालीस रुपये) की राशि का फैसला सुनाया है, जो कि साधारण राशि के साथ वास्तविक मूल राशि है।

दावा दायर करने की तारीख से दी गई राशि की प्राप्ति की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज। चक्रवृद्धि के भुगतान को अस्वीकार करने के लिए

विद्वान एकल मध्यस्थ द्वारा यू. एच. एल. को दिए गए ब्याज पर, खंड पीठ ने हरियाणा राज्य बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। एस. एल. अरोड़ा एंड कंपनी 1, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चक्रवृद्धि ब्याज केवल तभी दिया जा सकता है जब ब्याज के चक्रवृद्धि के लिए एक विशिष्ट अनुबंध या किसी क़ानून के तहत प्राधिकरण हो और चक्रवृद्धि ब्याज देने के लिए अदालतों या न्यायाधिकरणों में कोई सामान्य विवेकाधिकार निहित न हो। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अनुबंध में ब्याज पर ब्याज के लिए किसी भी प्रावधान के अभाव में, मध्यस्थ न्यायाधिकरणों के पास ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज देने की शक्ति नहीं है, या तो पूर्व-पुरस्कार अवधि के लिए या पुरस्कार के बाद की अवधि के लिए।

4. अब तक, हैदर कंसल्टिंग (यू. के.) लिमिटेड बनाम गवर्नर, मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा उपरोक्त पहलू पर विराम लगा दिया गया है।

उड़ीसा राज्य ने मुख्य अभियंताओं के माध्यम से एस. एल. अरोड़ा (उपरोक्त) के मामले में फैसले को खारिज कर दिया है। बहुमत का विचार है कि पुरस्कार के बाद ब्याज एक मध्यस्थ द्वारा दी गई ब्याज राशि पर दिया जा सकता है। बहुमत के लिए लिखते हुए, न्यायमूर्ति बोबडे (उस समय उनके अधिपत्य के रूप में) ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया हैः

" 21. परिणामस्वरूप, मेरा विचार है कि एस. एल. अरोड़ा मामला [हरियाणा राज्य बनाम। एस. एल. अरोड़ा एंड कंपनी (2010) 3 एस. सी. सी.] गलत है।

यह अभिनिर्धारित करता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि और मूल दावे पर अधिनिर्णय का निर्देश "अधिनिर्णय पर भुगतान करने के लिए निर्देशित राशि" पर दिए गए लंबित ब्याज को संदर्भित नहीं करता है और अनुबंध में ब्याज पर ब्याज के किसी भी प्रावधान के अभाव में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिनिर्णय से पहले की अवधि या अधिनिर्णय के बाद की अवधि के लिए ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज देने की शक्ति नहीं है। संसद के पास इस विषय पर कानून बनाने की निस्संदेह शक्ति है और यह प्रावधान है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण निर्णय दे सकता है।

4 (2010) 3 एस. सी. सी. 690 5 (2015) 2 एस. सी. सी 189 [2022] 1 एस. सी. आर.

पुरस्कार द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि पर ब्याज,

अर्थ एक राशि जिसमें मूल राशि का निर्णय शामिल है और

ब्याज, और यह संसद द्वारा सादे भाषा में किया गया है।

[जोर दिया गया]

5. उपरोक्त मामले में एक सहमति वाली राय देते हुए, न्यायमूर्ति

सप्रे ने निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां कीं:

" 31. अब पद-पुरस्कार ब्याज पर आते हैं। की धारा 31 (7) (बी)

अधिनियम इन शब्दों को नियोजित करता है, "एक राशि जिसका भुगतान एक व्यक्ति द्वारा किया जाना है।

मध्यस्थ पुरस्कार। ... ." . खंड (बी) "मध्यस्थता पुरस्कार" शब्दों का उपयोग करता है।

और "मध्यस्थ न्यायाधिकरण" नहीं। मध्यस्थता पुरस्कार। जैसा कि आयोजित किया गया ऊपर, एक "राशि" के संबंध में बनाया गया है जिसमें शामिल है

31 (7) (ख) अधिनियम की वह राशि है जिसका भुगतान मध्यस्थ द्वारा किया जाना है। पुरस्कार "और किसी अन्य राशि से बहुत कम या उसके तहत नहीं

नाम "ब्याज"। ऐसी स्थिति में। यह नहीं कहा जा सकता कि क्या

अधिनियम की धारा 31 (7) (बी) के तहत ब्याज दिया जा रहा है। ब्याज पर "। खंड (ख) के तहत ब्याज दिया जाता है -

" एक मध्यस्थ पुरस्कार द्वारा भुगतान करने के लिए निर्देशित राशि जिसमें

" "राशि" खंड के तहत प्राप्त राशि से अधिक कुछ नहीं है।

(अ) "।

[जोर दिया गया]

6. एस. एल. अरोड़ा (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय के रूप में, जिस पर

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निर्भरता रखी गई है, तब से हैदर कंसल्टिंग (यू. के.) लिमिटेड (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है,

अपीलीय न्यायालय द्वारा इस आशय के विवादित फैसले में दिए गए निष्कर्ष कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण चक्रवृद्धि अनुदान देने के लिए सशक्त नहीं है। ब्याज पर ब्याज या ब्याज और दावा की गई मूल राशि पर यूएचएल के पक्ष में केवल साधारण ब्याज दिया जा सकता है, जिसे रद्द कर दिया जाता है और अलग रखा जाता है। नतीजतन, यू. एच. एल. के पक्ष में उपरोक्त पहलू पर मध्यस्थता पुरस्कार को बहाल करते हुए विवादित निर्णय के पैरा 54 (ए) में दिए गए निष्कर्ष, जहां तक यह ब्याज घटक के अनुदान से संबंधित है, उलट दिए जाते हैं।

7. श्री अभिनव मुखर्जी द्वारा की गई प्रस्तुति पर आगे बढ़ते हुए,

हमला करने के लिए राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता विवादित निर्णय पर, हम ध्यान दे सकते हैं कि दो तरह के तर्क दिए गए हैं। सबसे पहले, कि डिवीजन बेंच ने यूएचएल पावर कंपनी लिमिटेड को परेशान करने में गंभीर गलती की है।

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 16 दिसंबर, 2008 के फैसले के माध्यम से वापस किए गए निष्कर्ष और यह समझने में विफल रहे हैं कि 10 फरवरी, 1992 का समझौता ज्ञापन 22 अगस्त, 1997 के कार्यान्वयन समझौते में विलय नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों अलग-अलग दस्तावेज थे और समझौता ज्ञापन में एक अलग मध्यस्थता खंड था।

खंड 18 के रूप में क्रमांकित, जबकि कार्यान्वयन समझौते में खंड 20 शामिल था। दूसरा, यह स्पष्ट किया गया है कि अपीलीय न्यायालय और मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने भी इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गंभीर त्रुटि की है कि कार्यान्वयन समझौता समय से पहले किया गया था राज्य द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति से बहुत पहले समाप्त कर दिया गया।

8. सबसे पहले इस तर्क पर आते हुए कि राज्य की ओर से आग्रह किया गया कि 10 फरवरी, 1992 का समझौता ज्ञापन 22 अगस्त, 1997 के कार्यान्वयन समझौते के साथ विलय नहीं हुआ है, जो 22 अगस्त के कार्यान्वयन समझौते में निहित खंडों और खंडों का अवलोकन है।

1997 , इस तरह के समर्पण को नकारता है। कार्यान्वयन समझौते के दूसरे पृष्ठ पर एक पाठ इस प्रकार हैः

" जहाँ सरकार नीति के अनुसार भारत सरकार के दिशानिर्देश (इसके बाद "जीओआई" के रूप में संदर्भित)

समझौता ज्ञापन, एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी. आर.)। "

9. इसके अलावा, में उपयोग किए गए विभिन्न शब्दों की परिभाषा

कार्यान्वयन समझौता खंड (2) का एक हिस्सा है। "समझौता" शब्द को खंड 2.2 में निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" वर्ग 2 परिभाषाएँ

इस समझौते के सभी उद्देश्यों के लिए, विभिन्न शब्दों के निम्नलिखित अर्थ होंगे, सिवाय इसके कि जहां संदर्भ अन्यथा हो।

एकवचन में व्यक्त की गई परिभाषाओं और अन्य शब्दों में बहुवचन और इसके विपरीत शामिल होंगे।

2.1

XXX

XXX

XXX

6 संक्षेप में 'एमओयू' [2022] 1 एस. सी. आर.

" समझौता "का अर्थ होगा इस समझौते के साथ

2.2

इसके सभी परिशिष्ट और अनुलग्नक और इसमें प्रावधानों के अनुसार किए गए कोई भी संशोधन

निहित "।

10. यह तथ्य कि राज्य ने 10 फरवरी, 1992 को यू. एच. एल. के साथ समझौता ज्ञापन को लागू करने की बात स्वीकार की है और उक्त समझौता ज्ञापन कार्यान्वयन समझौते के दूसरे पाठ में "परिशिष्ट ए" के रूप में उल्लिखित, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, स्वयं राज्य द्वारा की गई याचिका को खारिज करता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायालय ने एक निष्कर्ष वापस करने में गलती की है कि 10 फरवरी, 1992 का समझौता ज्ञापन 22 अगस्त, 1997 के कार्यान्वयन समझौते में विलय नहीं हुआ था। उपरोक्त दृष्टिकोण को कार्यान्वयन समझौते के खंड 2.2 में उपयोग की गई "समझौता" शब्द की परिभाषा को पढ़ने पर मजबूत किया जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कार्यान्वयन समझौते में जहां भी "समझौता" शब्द का उपयोग किया गया है, उसमें इसके सभी परिशिष्ट और अनुलग्नक शामिल होंगे। समझौता ज्ञापन

पक्षों द्वारा कार्यान्वयन समझौते के परिशिष्ट ए के रूप में वर्णित किए जाने के बाद, इसे इसके साथ विलय के रूप में माना जाना चाहिए

यह न्यायालय विवादित निर्णय के पैरा 47 में वापस किए गए निष्कर्षों का समर्थन करता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कार्यान्वयन समझौते के खंड 2.2 के साथ पढ़े गए दूसरे पाठ के एक सादे पठन का सुझाव दिया गया है। कि समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन समझौते के साथ विलय हो गया है और इसलिए, जो विवाद खंड 20 के संदर्भ में कार्यान्वयन समझौते के तहत मध्यस्थता के लिए संदर्भित थे, उनमें समझौता ज्ञापन के तहत उत्पन्न होने वाले विवाद शामिल होने थे, भले ही बाद के दस्तावेज में एक अलग मध्यस्थता खंड शामिल था।

11. अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अकेले भरोसा करने में गलती की कार्यान्वयन समझौते के खंड 1 की सामग्री पर, जिसमें निम्नानुसार कहा गया हैः

" क्लॉज 1 के प्रभाव का कथन

परियोजनाः

दोनों पक्ष अर्थात सरकार और कंपनी इस बात पर सहमत हैं कि

सरकार/भारत सरकार द्वारा अनुमोदित डी. पी. आर. के प्रावधानों के अनुसार, समझौते में उल्लिखित शर्तों के अधीन, परियोजना को लागू किया जाएगा। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हैं कि आई. डी. 1 पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन आज बाईस अगस्त, 1997 को समाप्त हो जाएगा। ”

यह न्यायालय अपीलीय न्यायालय से सहमत है कि कार्यान्वयन समझौते के खंड 1 को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता था

और जब कार्यान्वयन समझौते के दूसरे पाठ और खंड 2.2 के संयोजन में पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि समझौता ज्ञापन को कार्यान्वयन समझौते का एक हिस्सा बनाया गया था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एकल मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि समझौता ज्ञापन कार्यान्वयन समझौते का एक हिस्सा है, जैसा कि अपीलीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है, किसी भी हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। 10 फरवरी, 1992 के समझौता ज्ञापन से या 22 अगस्त, 1997 के कार्यान्वयन समझौते के तहत यूएचएल द्वारा किए गए नुकसान और खर्च के दावों सहित संविदात्मक दायित्वों के प्रदर्शन के संबंध में पक्षों के बीच विवाद के सभी बिंदु, कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में खंड 20 के अनुसार मध्यस्थता के लिए संदर्भित थे।

समझौता।

12. विद्वान अतिरिक्त अधिवक्ता द्वारा ली गई दूसरी याचिका

राज्य का सामान्य कहना है कि अपीलीय न्यायालय ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार करने और एकल मध्यस्थ के निष्कर्षों को पूर्व-परिपक्व समाप्ति के पहलू पर बहाल करने में गलती की है। निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले राज्य की ओर से कार्यान्वयन समझौता। इस बिंदु की जांच करने के लिए, कार्यान्वयन समझौते का खंड 4 महत्व प्राप्त करता है। उक्त खंड परियोजना की शुरुआत की तारीख निर्धारित करता है और निम्नानुसार कहता हैः

" परियोजना की 4 प्रारंभ तिथि ज्ञात कीजिए।

4.1

प्रभावी तिथि से एक वर्ष के भीतर, कंपनी प्रमुख से मिलने के बाद परियोजना का निर्माण शुरू करें

आवश्यकताएँ, उदाहरण के लिएः

अ)

सी. ई. ए. से तकनीकी आर्थिक मंजूरी प्राप्त करें। जीओ से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करें! , मंत्रालय

ख)

पर्यावरण और वन (एम. ओ. ई. एफ.)।

बिजली के खरीदार की पहचान करें और बिजली को अंतिम रूप दें।

(ग)

अनुसूचियाँ समझौता (ओं)।

परियोजना घटकों के विस्तृत डिजाइन शुरू करें /

(घ)

संरचनाएँ।

इंजीनियरिंग, खरीद और खरीद के चयन को अंतिम रूप देना।

ई)

निर्माण (ईपीसी) ठेकेदार/निष्पादन एजेंसियां,

यदि आवश्यक हो।

स्थल कार्यालय की स्थापना करें और से स्थल का अधिग्रहण करें

च)

प्रारंभिक कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पहले से ही पट्टा आदि पर अधिग्रहित सरकारी भूमि या निजी भूमि सहित सरकार। वित्तीय समापन प्राप्त करें।

जी)

दोनों पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं कि गतिविधियों की पूर्ति

इस खंड के खंड 4 (क), 4 (ख) और इसके खंड 16.8 में गणना की गई है।

प्रभावी तिथि से तीन तीन महीने, एक की निर्धारित अवधि वर्ष, 4 (क), 4 (ख) पर गणना की गई किसी भी गतिविधि को पूरा करने में देरी के प्रत्येक महीने के लिए एक महीने के लिए बढ़ाया जाएगा।

और 16.8 बशर्ते कि मासिक विस्तार की कुल राशि

बारह (12) "से अधिक नहीं।

13. खंड 4.1 (ए) और (बी) का एक सादा अध्ययन इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि परियोजना का निर्माण शुरू करने के लिए यूएचएल की आवश्यकता थी।

प्रभावी तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर सी. ई. ए. से तकनीकी-आर्थिक मंजूरी और भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही। हालाँकि, पक्षों द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई कि चूंकि समझौते के खंड 16.8 के तहत ऊपर निर्दिष्ट प्रासंगिक मंजूरी प्राप्त करना, जिसके तहत राज्य को कुछ दायित्वों का निर्वहन करना आवश्यक था, पूरी तरह से यू. एच. एल. के हाथों में नहीं था, प्रभावी तिथि से तीन महीने की अवधि से अधिक की किसी भी देरी की स्थिति में, कार्यान्वयन समझौते में विचार की गई एक वर्ष की निर्धारित अवधि को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बारह महीने की अतिरिक्त अवधि से आगे नहीं। कार्यान्वयन समझौते के उपरोक्त खंडों के आलोक में, राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि, सभी परिस्थितियों में, कार्यान्वयन समझौते को एक वर्ष की अवधि के भीतर निष्पादित किया जाना था और चूंकि एक वर्ष से अधिक विस्तार का प्रावधान केवल खंड 4 (ए) और (बी) में अनुध्यात शर्तों पर लागू था और खंड 4 (सी) से (जी) में निर्धारित शर्तों पर लागू नहीं था, इसलिए इसे अपरिवर्तित पाया जाता है और अस्वीकार कर दिया जाता है। जब दलों ने

कार्यान्वयन समझौते में कहा गया था कि निर्माण गतिविधि शुरू करने के लिए यू. एच. एल. को उपलब्ध एक वर्ष की अवधि की गणना खंड 4 में निर्धारित प्रमुख आवश्यकताओं को प्राप्त करने के बाद की जानी थी, फिर खंड 4 के विभिन्न उप-शीर्षों के तहत दायित्वों को अलग करने के लिए किसी भी तर्क को केवल यू. एच. एल. पावर कंपनी लिमिटेड को दोष देने के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

वी. हिमाचल प्रदेश राज्य [हिमा कोहली, जे.]

यू. एच. एल. के दरवाजे पर जब राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार और केंद्रीकृत प्राधिकरणों से आवश्यक मंजूरी प्राप्त की जानी थी, तो यह पूरी तरह से अनुचित और अतार्किक होने के अलावा गुणों से रहित है। 14. यह न्यायालय भी सही के रूप में स्वीकार करता है, अपीलीय न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस मामले में एक बड़ी त्रुटि की है।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा वापस किए गए निष्कर्षों की पुनः सराहना करना और पक्षों को नियंत्रित करने वाले कार्यान्वयन समझौते के प्रासंगिक खंडों की व्याख्या के संबंध में पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण अपनाना क्योंकि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही में ऐसा करना उक्त न्यायालय के लिए खुला नहीं था, वस्तुतः एक अपील न्यायालय के रूप में कार्य करके। 15. जैसा कि यह है, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत न्यायालयों को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र काफी संकीर्ण है, जब यह एक के दायरे की बात आती है

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील, एक आदेश की जांच करने, एक पुरस्कार को अलग करने या अस्वीकार करने में एक अपीलीय न्यायालय की अधिकारिता, सभी अधिक सीमित है। एमएमटीसी लिमिटेड में v. वेदांता लिमिटेड ", मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को इस तरह का सीमित अधिकार क्षेत्र सौंपने के कारणों को निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया हैः

" 11. जहाँ तक धारा 34 का संबंध है, स्थिति अब तक अच्छी तरह से तय हो चुकी है क्योंकि न्यायालय मध्यस्थता पर अपील में नहीं बैठता है।

पुरस्कार और धारा 34 (2) (बी) (ii) के तहत प्रदान किए गए सीमित आधार पर योग्यता पर हस्तक्षेप कर सकता है, यानी यदि पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। 2015 में 1996 के अधिनियम में संशोधन से पहले इस न्यायालय के फैसलों के माध्यम से स्पष्ट की गई कानूनी स्थिति के अनुसार, भारतीय सार्वजनिक नीति के उल्लंघन में भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन, भारतीय कानून के हितों का उल्लंघन शामिल है।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन, और वेड्सबरी [एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस v. वेड्सबरी कॉर्प. , (1948) 1 के. बी. 223 (सी. ए.)] तर्कसंगतता। इसके अलावा, "पेटेंट अवैधता" को स्वयं का उल्लंघन माना गया है भारत का मूल कानून, 1996 के अधिनियम का उल्लंघन और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन।

7 (2019) 4 एस. सी. सी. 163 [2022] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. एक समान दृष्टिकोण, जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस न्यायालय द्वारा लिया गया है।

के. सुगुमार बनाम। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम Ltd.[3], जहाँ इसे निम्नानुसार देखा गया हैः

" 2. की धारा 34 के तहत न्यायालय की शक्ति की रूपरेखा

अधिनियम इतनी अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी भी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि एक

अधिनियम की धारा 34 को नंगे पढ़ने से संकेत मिलता है कि

मध्यस्थता में हस्तक्षेप करने के लिए दीवानी न्यायालय की संकुचित शक्ति पुरस्कार। इसका कारण स्पष्ट है। जब दलों ने चुना है

विवाद समाधान के लिए एक वैकल्पिक तंत्र का लाभ उठाने के लिए, उन्हें निर्णय के विवेक के साथ खुद को मिलाने के लिए छोड़ दिया जाए

मध्यस्थ और न्यायालय की भूमिका इस तक सीमित होनी चाहिए -

न्यूनतम। हस्तक्षेप केवल उन मामलों में उचित होगा जिनमें

मध्यस्थ द्वारा कदाचार का आयोग जो पता लगा सकता है

कानूनी अभ्यास सहित विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति

मध्यस्थ द्वारा विकृति "।

17. इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि

अनुबंध के नियमों और शर्तों की दो प्रशंसनीय व्याख्याएँ हैं, तो कोई दोष नहीं पाया जा सकता है, यदि विद्वान मध्यस्थ

आय

एक व्याख्या को दूसरे के विपरीत स्वीकार करना। डायना टेक्नोलॉजीज (पी) लिमिटेड वी. क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड में, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय न्यायालय की सीमाओं को इस प्रकार उजागर किया गया हैः

" 24. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34

किसी चुनौती को केवल उसमें दिए गए आधारों पर पुरस्कार तक सीमित करें।

या जैसा कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा व्याख्या की गई है। हमें जागरूक होने की आवश्यकता है

तथ्य यह है कि मध्यस्थता पुरस्कारों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए

आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से, जब तक कि न्यायालय किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे

कि पुरस्कार की विकृति मामले की जड़ तक जाती है

वैकल्पिक व्याख्या की संभावना के बिना जो

मध्यस्थता पुरस्कार को बनाए रख सकते हैं। धारा 34 इसमें भिन्न है। दृष्टिकोण और एक सामान्य अपीलीय के साथ बराबरी नहीं की जा सकती है

अधिकार क्षेत्र। धारा 34 के तहत आदेश अंतिमता का सम्मान करना है।

मध्यस्थता पुरस्कार और उनके विवाद को प्राप्त करने के लिए पार्टी की स्वायत्तता कानून के तहत प्रदान किए गए एक वैकल्पिक मंच द्वारा निर्णय लिया गया। अगर

न्यायालयों को सामान्य रूप से मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप करना था

तथ्यात्मक पहलुओं पर पाठ्यक्रम, फिर इसके पीछे का व्यावसायिक ज्ञान

वैकल्पिक विवाद समाधान का विकल्प चुनने से निराशा होगी।

8 (2020) 12 एस. सी. सी. 539

9 (2019) 20 एस. सी. सी. 1 यू. एच. एल. पावर कंपनी लिमिटेड। वी. हिमाचल प्रदेश राज्य [हिमा कोहली, जे.]

18. पारसा केंटे कोलियरीज लिमिटेड बनाम। राजस्थान राज्य विद्युत

उत्पादन निगम लिमिटेड ", मैकडमॉट इंटरनेशनल इंक. बनाम में इस न्यायालय के पिछले फैसलों को स्वीकार करते हुए। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड और अन्य 1 1 और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड वी. दीवान चंद राम सरन 1 2, जिसमें यह देखा गया है कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, लेकिन यदि अनुबंध की अवधि को उचित तरीके से समझा गया है, तो पुरस्कार को इस आधार पर अलग नहीं किया जाना चाहिए, यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 9.1 ..... यह आगे देखा और माना जाता है कि निर्माण एक अनुबंध की शर्तों में से मुख्य रूप से एक मध्यस्थ के लिए है

निर्णय लें जब तक कि मध्यस्थ अनुबंध को इस तरह से नहीं समझता है

एक तरीका है कि इसे कुछ ऐसा कहा जा सकता है जो उचित नहीं है

विचारशील या समझदार व्यक्ति ऐसा कर सकता है। यह आगे देखा जाता है इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 33 में उपरोक्त निर्णय में कि जब

एक अदालत एक मध्यस्थता पुरस्कार के लिए "सार्वजनिक नीति" परीक्षण लागू कर रही है,

यह अपील की अदालत के रूप में कार्य नहीं करता है और इसके परिणामस्वरूप त्रुटियाँ तथ्य को ठीक नहीं किया जा सकता है। मध्यस्थ द्वारा एक संभावित दृष्टिकोण

तथ्यों को अनिवार्य रूप से पारित करना होता है जैसा कि मध्यस्थ है

साक्ष्य की मात्रा और गुणवत्ता का अंतिम स्वामी जब वह अपना मध्यस्थ पुरस्कार देता है तो उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। यह है।

आगे कहा गया कि इस प्रकार एक पुरस्कार कम साक्ष्य या पर आधारित है

साक्ष्य जो गुणवत्ता में किसी प्रशिक्षित कानूनी व्यक्ति के बराबर नहीं है

इस अंक पर मन को अमान्य नहीं माना जाएगा।

9.2 एनएचएआई बनाम में इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भी ऐसा ही है। आईटीडी

सीमेंटेशन (इंडिया) लिमिटेड (2015) 14 एस. सी. सी. 21, पैरा 25 और सेल

वी. गुप्ता ब्रदर स्टील ट्यूब लिमिटेड (2009) 10 एस. सी. सी. 63, पैरा 29 "।

[जोर दिया गया]

19. डायना टेक्नोलॉजीज (पी) लिमिटेड (उपरोक्त) में, ऊपर लिया गया दृष्टिकोण

निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया हैः

" 25. इसके अलावा, इस न्यायालय के कई निर्णय हैं

स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि अदालतों को किसी पुरस्कार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए

केवल इसलिए कि तथ्यों और व्याख्या पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण

अनुबंध मौजूद है। अदालतों को सतर्क रहने और इसे स्थगित करने की आवश्यकता है मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के लिए, भले ही तर्क

10 (2019) 7 एससीसी 236

(2006) 11 एससीसी 181

12 (2012) 5 एस. सी. सी. 206 [2022] 1 एस. सी. आर.

पुरस्कार में प्रदान किया गया प्रावधान तब तक निहित है जब तक कि ऐसा पुरस्कार चित्रित न हो। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अक्षम्य विकृति।

20. दक्षिण पूर्व समुद्री इंग में तर्क की एक समान रेखा को अपनाया गया है। & कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड [एस. ई. ए. एम. ए. सी. लिमिटेड] वी. ऑयल

लिमिटेड 13 और यह निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः

" 12. यह एक तय स्थिति है कि एक अदालत केवल उन आधारों पर पुरस्कार को रद्द कर सकती है जो मध्यस्थता अधिनियम में दिए गए हैं जैसा कि अदालतों द्वारा व्याख्या की गई है। हाल ही में, इस न्यायालय ने डायना टेक्नोलॉजीज (पी) लिमिटेड बनाम. क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड [डायना टेक्नोलॉजीज (पी) लिमिटेड v. क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड, (2019) 20 एससीसी 1: 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1656] ने इस तरह के हस्तक्षेप की गुंजाइश निर्धारित की। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः (एससीसी पीपी। 11-12 , पैरा 24)

" 24. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 किसी निर्णय को चुनौती देने को केवल उसमें दिए गए आधारों या विभिन्न न्यायालयों द्वारा व्याख्या के आधार पर सीमित करती है। हमें इस तथ्य से अवगत होने की आवश्यकता है कि मध्यस्थता पुरस्कार नहीं होने चाहिए

आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से हस्तक्षेप किया जाता है, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि निर्णय की विकृति मामले की जड़ तक जाती है, बिना वैकल्पिक व्याख्या की संभावना के जो मध्यस्थ निर्णय को बनाए रख सकती है। धारा 34 अपने दृष्टिकोण में अलग है और इसे सामान्य अपीलीय क्षेत्राधिकार के बराबर नहीं माना जा सकता है। धारा 34 के तहत अधिदेश मध्यस्थता पुरस्कार की अंतिमता और कानून के तहत प्रदान किए गए एक वैकल्पिक मंच द्वारा अपने विवाद का निर्णय लेने के लिए पार्टी की स्वायत्तता का सम्मान करना है। यदि न्यायालय तथ्यात्मक पहलुओं पर सामान्य पाठ्यक्रम में मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप करते हैं, तो वैकल्पिक विवाद समाधान का विकल्प चुनने के पीछे वाणिज्यिक ज्ञान निराश होगा।

13. यह भी तय कानून है कि जहां दो विचार संभव हैं,

न्यायालय द्वारा लिए गए प्रशंसनीय दृष्टिकोण में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है

टेक्नोलॉजीज [डायना टेक्नोलॉजीज (पी) लिमिटेड. वी. क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड, (2019) 20 एससीसी 1: 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1656]

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः (एस. सी. सी. पी. 12, पैरा 25)

:

0) 5 एससीसी 164 यूएचएल पावर कंपनी लिमिटेड। वी. हिमाचल प्रदेश राज्य [हिमा कोहली, जे.]

केवल तथ्यों पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के कारण पुरस्कार और अनुबंध की व्याख्या मौजूद है। अदालतों को सतर्क रहने की जरूरत है

और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्थगित कर देना चाहिए

भले ही पुरस्कार में दिया गया तर्क निहित हो जब तक कि

इस तरह का पुरस्कार धारा के तहत अक्षम्य विकृति को दर्शाता है

34 मध्यस्थता अधिनियम "।

[जोर दिया गया]

21. तत्काल मामले में, हमारा विचार है कि व्याख्या

कार्यान्वयन समझौते के प्रासंगिक खंडों में से, जैसा कि विद्वान एकमात्र मध्यस्थ द्वारा किया गया है, दोनों संभव और प्रशंसनीय हैं। केवल इसलिए कि एक और दृष्टिकोण लिया जा सकता था, शायद ही कोई आधार हो सकता है विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप करने के लिए। मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलीय न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने कार्यान्वयन समझौते के प्रासंगिक खंडों को दी गई व्याख्या पर सवाल उठाकर निर्णय में हस्तक्षेप करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है, क्योंकि दिए गए कारण तर्क द्वारा समर्थित हैं।

22. इसलिए हम अपीलीय न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हैं कि

5 जून, 2005 के माध्यस्थम निर्णय में वापस किए गए निष्कर्षों को इस प्रभाव से बहाल किया गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य ने निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले कार्यान्वयन समझौते को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ा था, जिसे "प्रभावी तिथि" से 24 महीने तक बढ़ाया जा सकता था। तत्काल मामले में, एच. पी. राज्य ने कार्यान्वयन समझौते के खंड 4 की विकृत व्याख्या को अपनाकर निर्धारित अवधि से पांच महीने पहले कार्यान्वयन समझौते को समाप्त कर दिया था, जो अस्वीकार्य था।

23. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, सिविल अपील सं. 10341

2011 यू. एच. एल. द्वारा वरीयता ऊपर पैरा 6 में उल्लिखित सीमा तक आंशिक रूप से अनुमत है, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा दायर 2011 की सिविल अपील संख्या 10342 को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। दलों को अपना खर्च उठाने के लिए छोड़ दिया जाता है लागतें।

देविका गुजराल

अपी लों का निपटारा किया गया।